वित्तीय स्वीकृति/स्पीड पोस्ट

संख्या: 9/2016/39 प्रो0/51-2016-14(12)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी , 2016

विषय:- जनपद- बरेली में भ्रमण पर आये राज्य अतिथि के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 170/न0मजि0-2015-बिल, वीआईपी दिनांक 04 नवम्बर ,2015,पत्रांक 173/न0मजि0-2015-बिल, वीआईपी दिनांक 04 जनवरी तथा पत्रांक 174/न0मजि0-2015-बिल, वीआईपी दिनांक 04 जनवरी ,2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित पार्श्वंकित देयक के भुगतान हेतु धनराशि **रूपये 44,357/- (रूपये चौंवालीस हजार तीन सौं सत्तावन मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1-	डा0 पी0 एल0 पुनिया, मा0 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,भारत सरकार दिनांक 17-11-2015 से 18-11-2015, वाहन संख्या: यू0 पी0-32, इ0एन0- 3485 देयक संख्या: एमबीडी -4081 दिनांक 28-11-2015, **रू 13,225@&**
2-	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, मा0 केन्द्रीय मंत्री, रेलवे, भारत, दिनांक 28-11-2015 वाहन संख्या: यू0 पी0-32, सी0जेड0-9820 देयक संख्या: ए0एल0आइ0- 416544 दिनांक 10-12-2015, **रू 15,526@&**
3-	श्रीमती मेनका संजय गॉधी, मा0 केन्द्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार। दिनांक 28-11-2015 वाहन संख्या: यू0 पी0-32, इ0एल0-3489 देयक संख्या: ए0एल0आइ0- 416543 दिनांक 10-12-2015, **रू 15,606@&**

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किया जा रहा है ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक: 03 मूलदेयक ।

भवदीय

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या: 9/2016/39(1)प्रो/51-2016-14(12)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, बरेली ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मुरादाबाद/अलीगढ़ ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव A

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।